रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 1975/कार्तिक 19, 1897
No. 307] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 1975/KARTIKA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November 1975

THE INDIAN RAILWAYS (DISPOSAL OF GOODS NOT REMOVED FROM NOTIFIED RAILWAY STATIONS) RULES, 1975

G.S.R. 554(E).—In exercise of the powers conferred by Section 56E of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), as amended by the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1975 (10 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules for the purpose of giving effect to the provisions of sections 56B, 56C and 56D of the said Act, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Disposal of Goods not removed from Notified Railway Stations) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Indian Railways Act, 1890 as amended by the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1975.

(b) 'Form' means a form set out in the Schedule.

(c) 'Schedule' means the Schedule to these rules.

(d) 'Section' means a section of the Act.

3. **Form and manner in which an application may be made under sub-section (3) of section 56B.**—If any person delivering to a railway administration any goods to be carried to a notified station desires that the railway administration should intimate the arrival of the goods at the notified station, he shall along with the forwarding note make an application in the Form I.

4. **Form in which a statement is to be exhibited under sub-section (4) of section 56B.**—The statement required to be exhibited at a conspicuous place in the notified station under sub-section (4) of section 56B shall be in Form II.

5. **Manner in which dates of public auction to be notified under sub-section (1) of section 56C.**—(1) Whenever it is proposed to sell any goods by public auction under sub-section (1) of section 56C, the railway administration shall notify the date on which such auction shall be held.

(2) Whenever such auctions are to be held regularly at notified station, it shall be enough if the days on which such auctions shall be held are fixed and published in one or more local newspapers.

(3) The notification in the newspapers shall also indicate the time and place of such auction and mention that the particulars of the goods proposed to be sold by public auction are exhibited on the notice-board in the goods shed or any other place to be specified.

(4) Whenever such auction is to be held occasionally, in addition to the particulars mentioned in sub-rules (2) and (3) the auction notice shall also broadly indicate the types of commodities proposed to be sold by auction.

(5) The date of every such auction shall be published in one or more local newspapers atleast three days in advance of the date of auction (excluding the date of sale).

6. **Manner of crediting the price of essential commodities referred in sub-clause (iii) of clause (a) of the proviso to sub-section (3) of section 56C.**—Whenever any goods comprising of essential commodities are transferred to the Central Government or the State Government or to any agency, cooperative society or other person under sub-section (2) of section 56C, the price payable for such goods under the Act shall be credited to the railway administration in the following manner,—

(a) if such goods are transferred to the State Government or the Central Government, the payment may be made either by cash or cheque or credit-note in the same manner as the railway freight is paid by such Government, or in any other manner as may be agreed to between the railway administration and the Government concerned,

(b) if such goods are transferred to any agency or cooperative society or other person under the direction of the Government, the payment may be made in cash or any other mode authorised by the railway administration for payment of freight by such agency or cooperative society or other person or in any other manner as may be agreed to between the railway administration and such agency or cooperative society or other person.

THE SCHEDULE

FORM I

(*See* rule 3)

Application for intimating the arrival of goods at notified station

I have separately submitted a forwarding note for booking goods, the particulars of which are given below :—

Name of the Consigner

Station to

No. of articles and description of goods

2. It is requested that the intimation about the arrival of the goods at the destination station....., which is a notified station, may be given to the person whose name and address are given below:—

Name

Address

Signature of sender or his agent.

THE SCHEDULE

FORM II

(*See* rule 4)

Form in which the statement of goods liable to be sold by public auction is to be exhibited at a notified station under sub-section (4) *of section 56B of the Indian Railways Act,* 1890

Serial Number	Name of the consignor	Name of the consignee (if known)	Booking particulars Station from	Station to	Invoice No. and date	Description of goods	Date of arrival of goods

[No. TCI/1680/74/1]

A. L. GUPTA,

Secretary, Railway Board and
Ex-Officio Joint Secretary

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1975

भारतीय रेल (अधिसूचित रेल स्टेशनों से न हटाए गए माल का व्ययन) नियम, 1975

सा० का० नि० 554(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 10) द्वारा यथा संशोधित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 56 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 56ख, 56ग और 56घ के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय रेल (अधिसूचित रेल स्टेशनों से न हटाए गए माल का व्ययन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा यथा संशोधित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 अभिप्रेत है ;

(ख) 'प्ररूप' से अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) 'अनुसूची' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. **प्ररूप और रीति जिसमें धारा 56 ख की उपधारा (3) के अधीन आवेदन किया जा सकेगा.**—यदि किसी अधिसूचित स्टेशन को ले जाए जाने के लिए किसी रेल प्रशासन की किसी माल का परिदान करने वाला कोई व्यक्ति यह वांछा करे कि रेल प्रशासन द्वारा उस माल की अधिसूचित स्टेशन पर पहुंच की सूचना दी जानी चाहिए, तो वह प्रेषण नोट के साथ ही प्ररूप 1 में आवेदन करेगा ।

4. **प्ररूप जिसमें विवरण धारा 56ख की उपधारा (4) के अधीन प्रदर्शित किया जाना है.**—अधिसूचित स्टेशन पर धारा 56ख की उपधारा (4) के अधीन किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण प्ररूप II में होगा ।

5. **रीति जिसमें लोक नीलाम की तारीख धारा 56ग की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की जाएगी.**—(1) जब कभी यह प्रस्थापित हो कि किसी माल को धारा 56ग की उपधारा (1) के अधीन लोक नीलाम द्वारा बेचा जाए, तो रेल प्रशासन वह तारीख अधिसूचित करेगा जिसको ऐसा नीलाम किया जाएगा ।

(2) जब कभी ऐसे नीलाम किसी अधिसूचित स्टेशन पर नियमित रूप से किए जाने हों तो यही पर्याप्त होगा यदि वे दिन जिन को ऐसे नीलाम किए जाएंगे, नियत कर दिए जाएं और एक या अधिक समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिए जाएं ।

(3) समाचारपत्रों में की अधिसूचना में ऐसे नीलाम का समय और स्थान भी उपदर्शित होगा और यह उल्लखित होगा कि लोक नीलाम द्वारा जो माल बेचे जाने के लिए प्रस्थापित है, उनकी विशिष्टियां माल गोदाम या किसी अन्य स्थान में जो विनिर्दिष्ट किया जाएगा, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है ।

(4) जब कभी ऐसा नीलाम समय-समय पर किया जाना हो तो नीलाम सूचना में, उस नियम (2) और (3) में उल्लखित विशिष्टयों के अतिरिक्त, मोटे तौर पर वस्तुओं की वे किस्में भी उपदर्शित होंगी जो नीलाम द्वारा बेची जाने के लिए प्रस्थापित है ।

(5) ऐसे प्रत्येक नीलाम की तारीख एक या अधिक स्थानीय समाचारपत्रों में, नीलाम की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले (जिसमें विक्रय की तारीख सम्मिलित नहीं होगी) प्रकाशित की जाएगी ।

6. **धारा 56 ग की उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (क) उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की कीमत जमा करने की रीति.**—जब कभी आवश्यक वस्तुओं के अन्तगत आने

वाले कोई माल, धारा 56ग की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या किसी अभिकरण, सहकारी सोसायटी या अन्य व्यक्ति को अन्तरित किए जाते हैं तो ऐसे माल के लिए अधिनियम के अधीन संदेय कीमत रेल प्रशासन के पास निम्नलिखित रीति में जमा की जाएगी,—

(क) यदि ऐसे माल राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अन्तरित किए जाते हैं तो संदाय नकद या चैक द्वारा या जमापत्र द्वारा उसी रीति में, जिसमें कि ऐसी सरकार द्वारा रेल भाड़े का संदाय किया जाता है, अथवा किसी अन्य ऐसी रीति में किया जा सकेगा जो रेल प्रशासन और संबंधित सरकार के बीच करार पाई जाए;

(ख) यदि ऐसे माल सरकार के निदेश के अधीन किसी अभिकरण या सहकारी सोसायटी या किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित किए जाते हैं तो संदाय नकद या किसी अन्य ऐसी रीति में जो ऐसे अभिकरण या सहकारी सोसायटी या अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े के संदाय के लिए रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत है, अथवा किसी अन्य ऐसी रीति में किया जा सकेगा जो रेल प्रशासन और ऐसे अभिकरण या सहकारी सोसायटी या अन्य व्यक्ति के बीच करार पाई जाए ।

अनुसूची

प्रपत्र 1

(नियम 3 देखिए)

अधिसूचित स्टेशन पर माल की पहुंच की सूचना देने के लिए आवेदन

मैंने माल बुक करने के लिए आवेषण नोट अलग से प्रस्तुत किया है जिसकी विशिष्टया नीचे दी गई हैं —

प्रेषक का नाम

किस स्टेशन को

वस्तुओं की संख्या और माल का वर्णन

2. निवेदन है कि गंतव्य स्टेशन, ... पर, जो अधिसूचित स्टेशन है, माल की पहुंच के बारे में सूचना उस व्यक्ति को दे दी जाए जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है

नाम

पता

भेजने वाले या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुसूची

प्रपत्र II

(नियम 4 देखिए)

प्रपत्र जिसमें लेखे जाने के लिए दायी माल का विवरण किसी अधिसूचित स्टेशन पर भारतीय रेल अधिनियम की धारा 56क की उपधारा (4) के अधीन प्रदर्शित किया जाना है ।

क्रम संख्या	परेषक का नाम	परेषिती (यदि ज्ञात हो) का नाम	बुकिंग की विशिष्टियां			माल का वर्णन	माल की पहुंच की तारीख
			किस स्टेशन से	किस स्टेशन को	बीजक संख्या और तारीख		

[सं० टी० सी० 1/1680/74/1]

ए० एल० गुप्ता,
सचिव, रेल बोर्ड तथा पदेन संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975